तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.81/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कौतामिल में जारी हुए
12.5.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या– 1 (सुरेश पुत्र केसाराम जी माली, जाति– माली, निवासी– शिवम प्लाजा, वलदरा रोड, कालन्द्री, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म आबूराज किराणा, शिवम प्लाजा, वलदरा रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (राजाराम, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म प्रताप मसाला उद्योग, प्लॉट नं. 31, 32 खेजडीया रोड, केसरपुरा, शिवगंज, जिला– सिरोही) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 12.10.2022 को फर्म फर्म आबूराज किराणा, शिवम प्लाजा, वलदरा रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी सुरेश पुत्र केसाराम जी माली, जाति– माली, निवासी– शिवम प्लाजा, वलदरा रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी सुरेश से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (PMS Brand) का नमूना संख्या S-1888 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./1744/Act/2022/1738 दिनांक 21.10.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 10.5.2023 को प्रतिवादी सुरेश एवं प्रतिवादी संख्या–2 (राजाराम) के पुत्र विष्णु ने उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। अतः प्रकरण में कोई साक्ष्य ली जाना उचित प्रतीत नही होने से प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 12.10.2022 को फर्म आबूराज किराणा स्टोर, शिवम प्लाजा, वलदरा रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता सुरेश पुत्र केसाराम जी माली, जाति– माली, निवासी– शिवम प्लाजा, वलदरा रोड, कालन्द्री, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही से फर्म आबूराज किराणा ....लगातार	

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:22:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रात. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.81/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

स्टोर में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (PMS Brand) के 30 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (PMS Brand) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (PMS Brand) के नमूना संख्या S-1888 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./1744/Act/2022/1738 दिनांक 21.10.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी सुरेश की फर्म आंबूराज किराणा स्टोर, शिवम प्लाजा, वलदरा रोड, कालन्द्री द्वारा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (PMS Brand) के 500–500 ग्राम के पैक्ड पैकेटों को निर्माता फर्म प्रताप मसाला उद्योग, प्लॉट नं. 31, 32 खेजडीया रोड, केसरपुरा, शिवगंज, जिला– सिरोही से क्रय किया गया है, जो खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (PMS Brand) की निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (PMS Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (PMS Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी सुरेश पुत्र केसाराम जी माली, जाति– माली, निवासी– शिवम प्लाजा, वलदरा रोड, कालन्द्री, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म आबूराज किराणा, शिवम प्लाजा, वलदरा रोड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) का एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (PMS Brand) के निर्माण व [illegible] हेतु प्रतिवादी राजाराम, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म प्रताप मसाला उद्योग, प्लॉट नं. 31, 32 खेजडीया रोड, [illegible] शिवगंज,

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:22:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.81/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	जिला– सिरोही पर राशि रुपये 4,000/– (अक्षरे रुपये चार हजार मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 16.6.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001	

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:22:25 IST
Reason: SelfAttested